न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 52/2024 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
शहीद नाथूसिंह राठौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थूम्बली जरिये प्रधानाचार्य जेतमालसिंह राठौड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 09.06.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी विद्यालय को आवंटित भूमि मौजा थूम्बली, तहसील शिव के खसरा नम्बर 425/25, 426/25 रकबा क्रमशः 0.8417, 0.8094 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन स्कूल व खेल मैदान आई हुई। उक्त आवंटित भूमि की राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा व विद्यालय भवन की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जे की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खेल मैदान की भूमि में मैरासी समाज व मेघवाल समाज के दो पृथक पृथक श्मशान घाट अवस्थित है। विद्यालय के खेल मैदान की तरमीम विद्यालय के पूर्व दिशा में की गई है, जो गलत है एवं खेल मैदान हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त गलत तरमीम से मौके पर खेल मैदान प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी विद्यालय जरिये प्रधानाचार्य द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित प्रधानाचार्य, सरपंच एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। मौके पर विद्यालय भवन वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम से बाहर बना हुआ है। विद्यालय भवन एवं खेल मैदान की वर्तमान तरमीम वास्तविक कब्जा अनुसार नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न वर्तमान मौका कब्जा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थिति मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन ... को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न वर्तमान मौका कब्जा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मौका कब्जा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती मौके पर विद्यालय एवं खेल मैदान के कब्जा अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा विवादित आराजी की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न वर्तमान मौका कब्जा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा व विद्यालय भवन अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थूम्बली, तहसील शिव में प्रार्थी विद्यालय के खसरा नम्बर 425/54, 426/54 रकबा क्रमशः 0.8417, 0.8094 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न वर्तमान मौका कब्जा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न वर्तमान मौका कब्जा तरमीम प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner